



572

समस :- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर § मध्यप्रदेश §  
PBR/निगरानी/मंदसौर/बुद्धा नं/2017/2810

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

R. M.  
श्री बाबुलाल शास्त्र  
आवेदनक द्वारा  
कर-आ  
16/8/2017  
05

- 1- मुकेश पिता शिवनारायण धाकड़ वयस्क  
निवासी गांव खुंटी तहसील मल्हारगढ़  
जिला मन्दसौर § मध्यप्रदेश §
- 2- भरत पिता शिवनारायण धाकड़ वयस्क  
निवासी गांव खुंटी तहसील मल्हारगढ़  
जिला मन्दसौर § म०प्र० §
- 3- बापूलाल पिता बैरूलाल धाकड़ वयस्क  
निवासी गांव खुंटी तहसील मल्हारगढ़  
जिला मन्दसौर § मध्यप्रदेश § ----- आवेदकगण.

:: बनाम ::

- 1- परमानन्द पिता वजेराम धाकड़ वयस्क  
निवासी गांव खुंटी तहसील मल्हारगढ़  
जिला मन्दसौर § म०प्र० §
- 2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा  
कलेक्टर महोदय मन्दसौर § म०प्र० § ----- अनावेदकगण.

डाक से प्राप्त  
20-8-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश  
भू- राजस्व संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध कार्यालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक  
वृत्त 2 बुद्धा तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर § म०प्र० §  
के प्रकरण क्रमांक 55 / अ - 12 /2016-17 परमानन्द  
पिता वजेराम धाकड़ बनाम मध्यप्रदेश शासन में

3


निरन्तर -2-

बापूलाल मुनेरा भरत

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2810

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	